

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इव्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

राजो बाई बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आस्टीए मुकदमा नं. 120/2021

निर्णय दिनांक :- 16.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर ब हाजरी बादिया स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

बादपत्र बादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
भली-भाति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 6 वी की जमाबन्दी सन्वत 2074 ता 77 के  
खाता संख्या 80/80 में क्रम संख्या 7 पर दर्ज नाम राजा देवी पत्नी सहीराम के स्थान पर राजो  
बाई पत्नी सहीराम अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व रहन  
बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे

आज दिनांक 16.11.2021 को यह पर्या डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की  
मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
{राजस्व} श्रीकरणपुर  
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	00	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	00	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 441

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
{राजस्व} श्रीकरणपुर  
श्रीकरणपुर

दिनांक: 16 / 11 / 21

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
{राजस्व} श्रीकरणपुर  
श्रीकरणपुर